

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी 177.09.2025 जिला बारां (राज.)

क्रमांक 2/25

177.09.2025

- = निर्णय = -

गौजली आई

प्रार्थी श्री केलाबाई जमकी बाई, पुत्री, मोतीलाल

न पार्थना

पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हुनुवतखेडा तहसील छवडा

जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् 2075-77 के खाता संख्या 72 में खातेदार/गैरखातेदार का

नर्म/जाति चमार अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से

वेरवा अंकित किया जावे। प्रार्थी को आदेश पत्र की जाय पटवारी चौधरी

से करवाने पर पटवारी ने चमार के बजाय वेरवा

करना उचित बताया। तहसीलदार छवडा ने भी स्वयं खाते में चमार

के बजाय वेरवा करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्टों के आधार पर शा. 177 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956

एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत

ग्राम हुनुवतखेडा के खाता संख्या 72 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति चमार

के स्थान पर सम्मानजनक रूप से वेरवा दर्ज करने का

आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छवडा तदनुसार नमूदा दिवस में सुस्तरी करे।

उपखण्ड अधिकारी
(Land Record Officer)
जिला बारां
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छवडा (राज.)